"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2009—भाद्र 6, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2009/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,—

भाग दो के नियम 7 के सरल क्र. (सोलह) में, अंक "14,300" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"37,400"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2009

क्रमांक एफ 1-1/2009/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2009/1/एक दिनांक 28 अगस्त, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

Raipur, the 28th August 2009

NOTIFICATION

No. F 1-1/2009/1/One.—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to make the following amendment in the Rule of Business of the Executive Government of Chhattisgarh, namely ;—

AMENDMENT

In the said rules ;—

In serial number (xvi) of rule 7 of Part -II, for the figure "14,300" the following shall be substituted, namely :—

"37,400"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JAWAHAR SHRIVASTAVA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.